(11)

स्थल निरीक्षण

कार्य का नाम -- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत सत्यों से जिफल्टा–नैड़ी तक मोटर मार्ग के नव निर्माण कार्य का समरेखन प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कार्य हेतु सुझाया गया समरेखण का कार्य स्थल पर मेरे द्वारा नीचे दर्शायी गयी तिथि के अनुसार निरीक्षण कर लिया गया है।

पदनाम	निरीक्षण दिनाँक	हस्ताक्षर
कनिष्ठ अभियन्ता / अवर सहायक अभियन्ता	1/2/15	
सहायक अभियन्ता	1/2/15	
अधिशासी अभियन्ता	1/2/15	

जनपद अलमोड़ा में सत्यों से जिफल्टा–नैणी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित संरेखन भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

1. प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग अलमोड़ा के अन्तर्गत 6.00 कि0 मी0 लम्बाई सत्यों से जिफल्टा- नैणी मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 अलमोड़ा के अनुरोध पर प्रस्तावित समरेखन का अधोहस्ताक्षरी के द्वारा दिनांक 14.12.2014 को सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता श्री एस0 एम0 डंगवाल के साथ निरीक्षण किया गया।

2. जनपद अलमोड़ा में जागेश्वर विधानसभा के अन्तर्गत सत्यों से जिफल्टा–नैणी मोटर मार्ग का 6.00 कि0मी0 की लम्बाई में निर्माण का स्वीकृत है। प्रस्तावित समरेखन मेलाघ्रा से सत्यों मोटर मार्ग के कि0मी0 2.00 में पटवारी चौकी के पास से खड्ड साईड में आरम्भ होता है तथा स्वीकृत 6.00 कि0 मी0 लम्बाई पूर्ण कर समाप्त होता है। स्वीकृत लम्बाई में समरेखन जिफल्टा से पूर्व समाप्त हो जाता है। इस मार्ग से सत्यों, मैणी ग्राम सभा एवं जिफल्टा लाभान्वित होंगे। समरेखन में नौ हेयर पिन बैंड्स दिये गये हैं। अवगत कराया गया कि समरेखन अलग–अलग भाग में नाप भूमि एवं सिविल भूमि से होकर गुजरता है। समरेखन क्षेत्र में भूमि का ढलान सामान्यतः 25° से 50° के मध्य प्रतीत होता है। इस क्षेत्र में अलमोड़ा ग्रुप की mica schist तथा micaceous quartzite चट्टान है। चट्टाने स्थान–स्थान पर weathered है। चट्टानों के ऊपर मिट्टी / डेब्री का ओवर बर्डन है। स्थल निरीक्षण के दिन समरेखन क्षेत्र में प्रथम दृष्टया कोई अस्थिरता दृष्टिगोचर नही हुई।

3. समरेखन क्षेत्र की भूगर्भीय स्थिति भू- आकृति एवं उक्त प्रस्तर में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुये निम्न सुझाव दिये जा रहे हैं, जिन्हें प्रस्तावित मार्ग निर्माण में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

(i) यथासम्भव मार्ग की पूरी चौडाई कटान करके प्राप्त की जाय। यह भविष्य में मार्ग की स्थिरता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जहाँ रिटेनिंग दीवार का निर्माण अपरिहार्य हो वहाँ इनका निर्माण फर्म स्ट्रेटा पर समुचित परिकल्पना के आधार पर कराया जायें।

(ii) मार्ग के आरम्भ में टेक आफ प्वाइन्ट कम ढलान युक्त स्थिर भूमि में सावधानीपूर्वक बनाया जाय।

(iii) यह सुनिश्चित किया जाय कि समरेखन में प्रस्तावित हेयर पिन बैण्ड कम ढलान युक्त स्थिर भूमि में सावधानीपूर्वक बनायें जायें।

(iv) तीव्र ढलान में मार्ग की एक से अधिक आम्र्स की स्थिति को avoid किया जाना चाहिये।

(v) पहाड़ के एक ही ढलान पर बैण्ड्स होने के कारण जहां मार्ग की अनेक आर्म्स एक दूसरे के ऊपर हो जायेगी ऐसे भाग में वर्षाकाल में मार्ग पर विशेष अनुरक्षण कार्यो की आवश्यकता हो सकती है।

(vi) समरेखन के समीप स्थित घरों से सुरक्षित दूरी रखते हुये बिना विस्फोटकों का प्रयोग किये मार्ग कटान किया जाये।

(vii) समरेखन में अपेक्षाकृत तीव्र पहाड़ी ढलान वाले भाग में सावधानीपूर्वक मार्ग कटान किया जाये जिससे कोई अस्थिरता उत्पन्न न हो।

(viii) जहां मार्ग कटान की ऊंचाई अधिक हो और मिट्टी कमजोर हो, विशेष रूप से बैण्ड्स पर एवं आबादी वाले भाग में मार्ग कटान के साथ–साथ समुचित ब्रेस्ट वाल का निर्माण कराया जाये

(ix) जहाँ आवश्यक हो, मार्ग के ऊपर व नीचे पहाड़ी ढलान पर समुचित पौधों का रोपण किया जाये, जिससे ढलानो पर भूक्षरण की प्रक्रिया को नियंत्रित रखा जा सके।

(x) वर्षा के पानी की समुचित निकासी हेतु साइड ड्रेन एवं स्कपर का प्रावधान किया जायें। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि स्कपर के पानी से भूक्षरण न हो।

(xi) पर्वतीय क्षेत्र में मार्ग के लिये निर्धारित सिविल अभियांत्रिकी के अन्य मानको एवं विशिष्टियो का भी पालन किया जाये।

4 सतेरा से जिफल्टा–गौणी मोटर मार्ग हेतु 6.00 कि0 मी0 लम्बाई का प्रस्तावित्त समरेखन वर्तमान परिस्थितियो में उपरोक्त सुझावों के साथ मार्ग निर्माण के लिये उपयुक्त्त प्रतीत होता है। इस हेतु प्रस्तावित भूमि भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त है।

टिप्पणीः–

भूमि हस्तांतरण की दृष्टि से समरेखन, क्षेत्र में किये गये निरीक्षण एवं खण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये सर्वेक्षण विवरण के आधार पर यह एक जनरलाइज्ड आख्या है। मार्ग कटान के पश्चात स्थिति में परिवर्तन भी सम्भव है। समरेखन/मार्ग पर किसी विशिष्ट बिन्दु पर यदि सुझाव की आवश्यकता हो तो उसे अलग से अवगत कराया जाये।

(हर्ष कुमार)
वरि0 भूवैज्ञानिक (से0नि0)
लोक निर्माण विभाग